

अनुबंध 1

भारतीय रिज़र्व बैंक को तिमाही आधार पर 25 लाख रुपये और उससे अधिक राशि के संबंध में इरादतन की गई चूक (वाद दाखिल न किये गये खाते) के मामलों पर सूचना/आंकड़े प्रस्तुत करने का फार्मट:

बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से यह अपेक्षित है कि वे तिमाही आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक को इरादतन चूककर्ताओं (वाद दाखिल न किये गये खाते) के संबंध में सूचना/आंकड़े कॉम्पैक्ट डिस्क (सीडी) में प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित संरचना (उसी फील्ड नाम के साथ)का प्रयोग करें :

फील्ड	फील्ड का नाम	प्रकार	चौड़ाई	विवरण	टिप्पणी
1	एससीटीजी	संख्या	1	बैंक/वित्तीय संस्था की श्रेणी	संख्या 1/2/4/6/8 भरी जाए 1 भा.स्टे.बैंक और उसके सहयोगी बैंक 2 राष्ट्रीयकृत बैंक 4 विदेशी बैंक 6 निजी क्षेत्र के बैंक 8 वित्तीय संस्थाएँ
2	बीकेएनएम	अक्षर	40	बैंक/वि.सं. का नाम	बैंक / वि. सं. का नाम
3	बीकेबीआर	अक्षर	30	शाखा का नाम	शाखा का नाम
4	राज्य	अक्षर	15	राज्य का नाम	उस राज्य का नाम जिसमें शाखा स्थित है
5	एसआरएनओ	संख्या	4	क्रम संख्या	क्रम संख्या
6	पीआरटीवाई	अक्षर	45	पार्टी का नाम	वैध नाम
7	आरईजीए डीडीआर	अक्षर	96	पंजीकृत पता	पंजीकृत कार्यालय का पता
8	ओएसएएमटी	संख्या	6	बकाया राशि लाख रुपये में (पूर्णांकित)	
9	वाद	अक्षर	4	वाद दाखिल या	यदि वाद दाखिल है तो 'वाद' टाइप

				नहीं	करें। अन्य मामलों में इसे खाली रखें।
10	अन्य बैंक	अक्षर	40	अन्य बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं का नाम	अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के नाम निर्दिष्ट करें जिनसे पार्टी ने ऋण सुविधा प्राप्त की है। नाम संक्षिप्त रूप में लिखें उदा० बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए बीओबी, भारतीय स्टेट बैंक के लिए एसबीआई आदि।
11	डीआईआर1	अक्षर	40	निदेशक का नाम	(क) निदेशक का पूरा नाम निर्दिष्ट करें (ख) सरकारी कंपनी के मामले में केवल "... .. सरकार का उपक्रम" लिखा जाए। (ग) बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/केंद्र सरकार/राज्य सरकार के नामित निदेशकों के नामों के सामने संक्षेप में 'नामित' कोष्ठक में निर्दिष्ट करें। (घ) स्वतंत्र निदेशकों के मामले में संक्षेपाक्षर 'स्वतंत्र' कोष्ठक में निर्दिष्ट करें। (ङ) उन निदेशकों के मामले में जो उधारकर्ता कंपनी को चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत करते समय पद पर थे, परंतु बाद में उसके बोर्ड पर नहीं हैं, उनके नाम के सामने चिह्न @ कोष्ठक में निर्दिष्ट किया जाए।
12	DIN_DIR1	संख्या	8	डीआईआर1 की निदेशक पहचान संख्या	डीआईआर1 पर निदेशक की 8 अंकों वाली निदेशक पहचान संख्या
13	डीआईआर2	अक्षर	40	निदेशक का नाम	-वही-
14	DIN_DIR2	संख्या	8	डीआईआर2 की	डीआईआर 2 पर निदेशक की 8

				निदेशक पहचान संख्या	अंकों वाली निदेशक पहचान संख्या
15	डीआईआर3	अक्षर	40	निदेशक का नाम	-वही:
16	DIN_DIR3	संख्या	8	डीआईआर3 की निदेशक पहचान संख्या	डीआईआर 3 पर निदेशक की 8 अंकों वाली निदेशक पहचान संख्या
17	डीआईआर4	अक्षर	40	निदेशक का नाम	-वही-
18	DIN_DIR4	संख्या	8	डीआईआर4 की निदेशक पहचान संख्या	डीआईआर 4 पर निदेशक की 8 अंकों वाली निदेशक पहचान संख्या
19	डीआईआर5	अक्षर	40	निदेशक का नाम	-वही-
20	DIN_DIR5	संख्या	8	डीआईआर5 की निदेशक पहचान संख्या	डीआईआर 5 पर निदेशक की 8 अंकों वाली निदेशक पहचान संख्या
21	डीआईआर6	अक्षर	40	निदेशक का नाम	-वही
22	DIN_DIR6	संख्या	8	डीआईआर6 की निदेशक पहचान संख्या	डीआईआर6 पर निदेशक की 8 अंकों वाली निदेशक पहचान संख्या
23	डीआईआर7	अक्षर	40	निदेशक का नाम	-वही-
24	DIN_DIR7	संख्या	8	डीआईआर7 की निदेशक पहचान संख्या	डीआईआर 7 पर निदेशक की 8 अंकों वाली निदेशक पहचान संख्या
25	डीआईआर8	अक्षर	40	निदेशक का नाम	-वही-
26	DIN_DIR8	संख्या	8	डीआईआर8 की निदेशक पहचान संख्या	डीआईआर8 पर निदेशक की 8 अंकों वाली निदेशक पहचान संख्या
27	डीआईआर9	अक्षर	40	निदेशक का नाम	-वही-
28	DIN_DIR9	संख्या	8	डीआईआर9 की निदेशक पहचान संख्या	डीआईआर 9 पर निदेशक की 8 अंकों वाली निदेशक पहचान संख्या
29	डीआईआर10	अक्षर	40	निदेशक का नाम	-वही-
30	DIN_DIR10	संख्या	8	डीआईआर10 की निदेशक पहचान संख्या	डीआईआर10 पर निदेशक की 8 अंकों वाली निदेशक पहचान संख्या

				संख्या	संख्या
31	डीआईआर11	अक्षर	40	निदेशक का नाम	-वही-
32	DIN_DIR11	संख्या	8	डीआईआर11 की निदेशक पहचान संख्या	डीआईआर 11 पर निदेशक की 8 अंकों वाली निदेशक पहचान संख्या
33	डीआईआर12	अक्षर	40	निदेशक का नाम	-वही-
34	DIN_DIR12	संख्या	8	डीआईआर12 की निदेशक पहचान संख्या	डीआईआर 12 पर निदेशक की 8 अंकों वाली निदेशक पहचान संख्या
35	डीआईआर13	अक्षर	40	निदेशक का नाम	-वही-
36	DIN_DIR13	संख्या	8	डीआईआर13 की निदेशक पहचान संख्या	डीआईआर 13 पर निदेशक की 8 अंकों वाली निदेशक पहचान संख्या
37	डीआईआर14	अक्षर	40	निदेशक का नाम	-वही-
38	DIN_DIR14	संख्या	8	डीआईआर 14 की निदेशक पहचान संख्या	डीआईआर 14 पर निदेशक की 8 अंकों वाली निदेशक पहचान संख्या
	कुल बाइट		953		

(1) यदि निदेशकों की कुल संख्या 14 से अधिक हो, तो अतिरिक्त निदेशकों के नाम उन रिक्त स्थानों में भरें जो अन्य निदेशकों के स्तंभों में उपलब्ध हैं।

(2) आंकड़े / सूचना केवल उपर्युक्त फॉर्मेट में **कॉम्पैक्ट डिस्क में, .डीबीएफ फाइल के रूप में ही** प्रस्तुत करनी चाहिए। सीडी प्रस्तुत करते समय बैंक / वित्तीय संस्थाएँ यह सुनिश्चित करें कि :

- सीडी पठनीय है और करप्ट / वाइरस से प्रभावित नहीं है।
- सीडी उचित रूप में लेबल से युक्त है जिस पर बैंक का नाम, सूची का नाम और वह अवधि निर्दिष्ट है जिससे सूची संबंधित है, तथा लेबल पर और पत्र में निर्दिष्ट सूची का नाम एक ही है।
- प्रत्येक क्षेत्र का नाम और चौड़ाई तथा क्षेत्रों का क्रम पूर्णतया उपर्युक्त फॉर्मेट के अनुसार है।
- ऐसे अभिलेख शामिल नहीं हैं जिनकी बकाया राशि 25 लाख रुपये से कम है।

- कोई भी वाद दाखिल खाता शामिल नहीं है ।
- निम्नलिखित प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है (क्योंकि क्षेत्रों को समुचित रूप से सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता): 'मेसर्स', 'मिस्टर' 'श्री' आदि ।
- 'मेसर्स', 'श्रीमती', 'डॉ.' आदि शब्द यदि लागू हैं तो उन्हें व्यक्ति के नाम के अंत में भरा गया है ।
- क्षेत्र "वाद" और डीआईआर 1 से डीआईआर 14 तक के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों के लिए यथाप्रयोज्य रूप में सूचना पूर्णतः भरी गई है तथा स्तंभों को रिक्त नहीं रखा गया है ।

(3) 'शून्य' (निल) सूचना/आंकड़ों की स्थिति में कोई भी सीडी भेजने की आवश्यकता नहीं है तथा स्थिति को पत्र / फैंक्स द्वारा सूचित किया जा सकता है ।

(4) पर्याप्त रूप से वरिष्ठ अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र जिसमें यह कहा गया हो कि 'चूककर्ताओं की सूची उसके विवरण को विधिवत् सत्यापित करने के बाद सही रूप में संकलित की गई है तथा इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का पूर्णतः पालन किया गया है', सीडी के साथ भेजा जाना चाहिए ।